🔰विशेष जानकारी🔰
03/11/2024

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अंतर्गत परनिंदा दंड से दंडित प्रभाव के संबंध में:-

1. परनिंदा - यह सबसे छोटी पेनल्टी है यह लघु शास्ति (17CC) अंतर्गत है। परिनिंदा के दंड से दंडित राजसेवक को 1 वर्ष विलंब से पदोन्नति/एसीपी देने का प्रावधान है।
2. जितनी बार परिनिंदा से दंडित किया जावेगा उतनी बार पदोन्नति/एसीपी से वंचित रखा जाएगा।
3. कार्मिक विभाग के परिपत्र 04.06.2008 के बिंदु संख्या 16.3 एवं परिपत्र दिनांक 26.07.2006 के अनुसार परिनिंदा से दंडित किए जाने पर एक बार पदोन्नति से वंचित करने का प्रावधान है।
2. प्रत्येक प्रकरण में अलग अलग प्रभाव अर्थात एक से अधिक प्रकरणों में दंड दिया जाता है तो कार्मिक को पदोन्नति से उतनी बार वंचित किया जाएगा।

--------- *नए नियम* ---------

कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.10.2024 को आदेश जारी कर निम्नानुसार नियम किए गए:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही में राज्यकर्मियों को परिनिंदा का दंड दिए जाने पर इससे संबंधित राज्यकर्मियों की पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी।
2. अर्थात् परिनिंदा के दंड के कारण किसी भी राज्यकर्मियों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जावेगा।
3. यह संशोधन 22.10.2024 से प्रभावी होगा।
4. इस आदेश से पूर्व DPC प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा।
5. अगर 2024-25 की DPC अभी तक आयोजित नहीं हुई है तो उक्त डीपीसी को नए नियम के अनुसार की जा सकती है। अर्थात् नवीन प्रावधानंतर्गत किया जावे।परन्तु पूर्व वर्षो की विभागीय पदोन्नति समिति/रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में इस परिपत्र (22.10.2024) के जारी होने के बाद आयोजित होती है तो उसमें पूर्व की व्यवस्था ही लागू होगी अर्थात परिनिंदा दंड प्रभावी रहेगा।
6. यह प्रावधान डीपीसी नियमों में किया गया है ACP/MACP में नहीं किया गया है।

नरेंद्र सिंह सालासर
हायक प्रशासनिक अधिकारी
DEO (HQ) SEC. CHURU

Pm info Admin पैनल